

रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल की संरचना।

मण्डल सुरक्षा आयुक्त – श्री रामराज मीना मो0 9760541700



सहायक सुरक्षा आयुक्त – श्री के.सी.मीना मो0 9760541701



क्र.सं.	नाम व पद	पोस्ट/आउटपोस्ट	मोबाईल सं0
01	श्री समय सिंह, मण्डल निरी0	अपराध प्रकोष्ठ/इन	9760541713
02	''पी.एन.पासवान, निरी0/मुख्यालय	निरी0/मुख्यालय	9839452979
03	''दिमाक सिंह, निरी0	यात्री सुरक्षा/इन	7060208708
04	''आलोक कुमार, निरी0	शिविर पाल/इन	9760541717
05	''विष्णु सिंह, निरी0	म्सुनि कक्ष/इन	9760541730
06	'' घनश्याम पोहिया, निरी0	वि.आ.शा/इन	9794844743
07	''मयंक चौधरी, निरी0	अ.आ.शा/इन	9760541714
08	'' मो0 इस्माईल सिद्दीकी, निरी0	रेसुब पोस्ट-सीसीई/इन	9760541718
09	''डी.एस यादव, निरी0	रेसुब पोस्ट-यंत्रालय	9760541709
10	''चेतराम मीना, निरी0	रेसुब पोस्ट-सामान्य भण्डार	9760541708
11	'' के.के. सिंह, निरी0	रेसुब पोस्ट-मथुरा छावनी	9760541702
12	''सुजीत कुमार झा, निरी0	रेसुब पोस्ट-कासगंज	9760541703
13	''सुमन कुमार, निरी0	रेसुब पोस्ट-फर्रुखाबाद	9760541705
14	''प्रमोद लाकड़ा, निरी0	रेसुब पोस्ट-कन्नौज	9760541723
15	''हरेन्द्र सिंह, निरी0	रेसुब पोस्ट-बदायूँ	9760541706
16	'' दुर्गेश कुमार, निरी0	रेसुब पोस्ट-बरेली सिटी	9760541707
17	''प्रणय कुमार, निरी0	रेसुब पोस्ट-पीलीभीत	9760541710
18	''बी.के.सिंह, निरी0	रेसुब पोस्ट-लालकुआं	9760541712
19	''ओ.पी.मीणा, निरी0	रेसुब पोस्ट-काशीपुर	9760541711
20	''चन्द्रसेन सिंह, उप. निरी0	रेसुब पोस्ट-काठगोदाम	9794845701

रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल की उपलब्धियां।

रेसुबल इज्जतनगर मंडल का वर्ष 2017 जनवरी से दिसम्बर तक एवं वर्ष 2018 माह जनवरी से जून तक का विभिन्न मदों में उपलब्धियां निम्न प्रकार से है:—

- 01—रेल सम्पत्ति(अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत उपलब्धि:—वर्ष 2017 माह जनवरी से दिसम्बर तक कुल 29 मामले पंजीकृत हुए जिसमें 44 बाहरी व्यक्ति व 03 रिसीवर कुल 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वर्तमान वर्ष 2018 माह जनवरी से जून तक कुल 26 मामले पंजीकृत हुए जिसमें 36 बाहरी व्यक्ति, 02 रेलकर्मी व 04 रिसीवर कुल 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 02—रेल अधिनियम के तहत उपलब्धि:—वर्ष 2017 माह जनवरी से दिसम्बर तक कुल 13093 मामले रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हुए जिसमें 12727 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वर्तमान वर्ष 2018 माह जनवरी से जून तक कुल 6207 मामले रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हुए जिसमें 5998 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03—समयबद्धता:—वर्ष 2017 माह जनवरी से दिसम्बर तक एसीपी के कुल 752 मामले रिपोर्ट हुए जिसमें 591 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वर्तमान वर्ष 2018 माह जनवरी से जून तक एसीपी के कुल 307 मामले पंजीकृत कर 197 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 04—ट्रेन स्कोर्ट:—वर्ष 2017 माह जनवरी से दिसम्बर तक कुल 12488 गाड़ियों का स्कोर्ट कराया गया एवं वर्तमान वर्ष 2018 माह जनवरी से जून तक कुल 6144 गाड़ियों का स्कोर्ट कराया गया। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेन स्कोर्ट किये जाने से यात्रियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी आयी है।
- 05—जेटीबीएस के सम्बन्ध में कार्यवाही:—वर्ष 2017 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) में हो रही धांधली का पर्दाफास कर कार्यवाही करते हुए RP(UP)Act के अन्तर्गत 02 मामले पंजीकृत किये गये, जिसमें दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही से अन्य जेटीबीएस संचालकों पर प्रभाव पडा है, इस कारण जेटीबीएस में हो रही धांधली पर नियंत्रण हुआ है तथा रेल राजस्व की हो रही हानि पर रोक लगी है।
- 06—लावारिश/खोये बच्चों की सहायता:—वर्ष 2017 में माह जनवरी से दिसम्बर तक रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कुल 65 एवं वर्तमान वर्ष 2018 में माह जनवरी से जून तक 44 खोए/लावारिश/घर से भागे हुए बच्चों का बचाव/रेस्क्यू कर उनके परिजनों/एनजीओ को सुपुर्द कर सहायता प्रदान की गयी।
- 07—बिना दावा मामलों की जाँच:—वर्ष 2017 में माह जनवरी से दिसम्बर तक रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कुल 325 मामलों की जाँच पूर्ण करायी गयी एवं वर्तमान वर्ष 2018 में माह जनवरी से जून तक 118 मामलों की जाँच पूर्ण करायी गयी।
- 08—टिकट लेस चेकिंग:— टिकट लेस चेकिंग में वर्ष 2017 में माह जनवरी से दिसम्बर तक रेसुब के 1855 स्टाफ लगाकर 7470 व्यक्तियों को पकड़कर रु0 2104475/— एवं वर्तमान वर्ष—2018 में माह जनवरी से जून तक रेसुब के 1088 स्टाफ लगाकर 5760 व्यक्तियों को पकड़कर रु0 1629368/—जुर्माने के रूप में वसूल करवाया गया।